उत्तर रेलवे

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, (सं.सं.) सहारनपुर

सूचना अंतर्गत धारा 20 च (4)

देवबंद–रूड़की नई रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु जनपद–सहारनपुर की तहसील–देवबन्द के 11 ग्रामों में अर्जित की जा रही भूमि के खसरा नम्बरान एवं अर्जित रकबे का धारा–20 ई के अंतर्गत प्रकाशन भारत सरकार के गजट संख्या 4077 (अ) दिनांक 19.12.2017 दैनिक जागरण एवं अमर उजाला समाचार पत्र के हिंदी अंक दिनांक 14.01.2018 में प्रकाशित हुआ। उक्त प्रकाशित अधिसूचना के क्रम में उक्त परियोजना से प्रभावित जनपद सहारनपुर की तहसील–देवबन्द के सभी 3 ग्रामों के खसरा नम्बरान से संबंधित कृषकगण/हितबद्ध व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त परियोजना हेतु अर्जित की जा रही भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु धारा 20 च (4) के अंतर्गत जो आपत्ति/साक्ष्य (बैनामा आदि) सहित दाखिल करना चाहते हैं तो वह इस इकाई के कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर सहारनपुर में दिनांक **16.02.2018** तक प्राप्त करा दें। उक्त दिनांक तक प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई सूची में अंकित ग्रामों के सम्मुख अंकित दिनांक एवं समय व स्थान पर की जाएगी। संबंधित आपत्तिकर्ता/हितबद्ध व्यक्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से निम्नांकित तिथि को निम्नलिखित स्थान पर अपने साक्ष्यों सहित उपस्थित हों।

क्र. सं.	जनपद/तहसील का नाम	ग्राम का नाम	नियत तिथि	समय	स्थान
1.	सहारनपुर/ देवबन्द	बन्हेडा खास	17.02.18	11.00 बजे	कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (संयुक्त संगठन) सहारनपुर, कलेक्ट्रेट परिसर, सहारनपुर।
2.		साल्हापुर	17.02.18	11.00 बजे	
3.		राजपुर उर्फ रामपुर	17.02.18	11.00 बजे	

(राजेश कुमार)

479/2018 सक्षम प्राधिकारी/वि.भू.अ.अ., (संयुक्त संगठन) सहारनपुर

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ